	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	पौष 17, बुधवार, *शाके* 1947- जनवरी 07, 2026 Pausa 17, Wednesday, Saka 1947- January 07, 2026	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 07, 2026

जी.एस.आर.132 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 187 के खण्ड (3)द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान राज्य के राज्यपाल, राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात्,राजस्थान विधान सभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1992 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विधान सभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 2का संशोधन.- राजस्थान विधान सभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम,1992, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 2 के खण्ड (च) में, विद्यमान उप-खण्ड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड (iii) जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"(iii) सचिवालय के बाहर, संघ के या किसी राज्य अथवा सांविधिक निकाय के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत किसी व्यक्ति के विशेष चयन द्वारा;"।

3. नियम 4 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 4 के उप-नियम (1) के खण्ड (ख) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "किसी व्यक्ति के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा" के स्थान पर अभिव्यक्ति, "किसी व्यक्ति के स्थानान्तरण, प्रतिनियुक्ति या विशेष चयन द्वारा" प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. अनुसूची का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची में, शीर्ष राजस्थान विधान सभा सचिवालय सेवा के अधीन,-

(i) क्रम संख्यांक 20 के सामने स्तंभ संख्यांक 7 में, विद्यमान मद (ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ख) स्थानान्तरण/ प्रतिनियुक्ति/ विशेष चयन के माध्यम से नियुक्ति के मामलों में, राजस्थान पुलिस सेवा के वेतन लेवल L-19 में वेतन आहरित करने वाले किसी अधिकारी या सैन्य/अद्र्ध सैन्य बलों में एक वेतनमान निम्नतर में या राजस्थान पुलिस सेवा के वेतन लेवल L-19 के समतुल्य वेतन आहरित करने वाले और राजस्थान पुलिस सेवा या, यथास्थिति, सैन्य/अद्र्ध सैन्य

बलों में ऐसे पद पर कार्य करने का 5 वर्ष से अन्यून का अनुभव रखने वाले अधिकारियों के पद से।";

(ii) क्रम संख्यांक 20 के सामने स्तंभ संख्यांक 7 में, इस प्रकार प्रतिस्थापित मद (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित नया मद (ग) जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"(ग) विशेष चयन के मामले में पद, पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करके और प्रमुख सचिव, विशिष्ट सचिव तथा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अन्य अधिकारी से मिलकर गठित समिति द्वारा किये गये चयन से भरा जायेगा। अभ्यर्थी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक होने चाहिए, 45 वर्ष की आयु प्राप्त किये हुए नहीं होने चाहिए और राजस्थान पुलिस सेवा या सैन्य/अद्र्ध सैन्य बलों में सेवारत होने चाहिए।";

(iii) क्रम संख्यांक 20क के सामने स्तंभ संख्यांक 7 में, विद्यमान मद (ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ख) स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति/ विशेष चयन के माध्यम से नियुक्ति के मामलों में, राजस्थान पुलिस सेवा के वेतन लेवल L-16 में वेतन आहरित करने वाले किसी अधिकारी या सैन्य/अद्र्ध सैन्य बलों में एक वेतनमान निम्नतर में या राजस्थान पुलिस सेवा के वेतन लेवल L-16 के समतुल्य वेतन आहरित करने वाले और राजस्थान पुलिस सेवा या, यथास्थिति, सैन्य/अद्र्ध सैन्य बलों में ऐसे पद पर कार्य करने का 5 वर्ष से अन्यून का अनुभव रखने वाले अधिकारियों के पद से।";

(iv) क्रम संख्यांक 20क के सामने स्तंभ संख्यांक 7 में, इस प्रकार प्रतिस्थापितमद (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित नया मद (ग) जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"(ग) विशेष चयन के मामले में पद, पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करके और प्रमुख सचिव, विशिष्ट सचिव तथा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अन्य अधिकारी से मिलकर गठित समिति द्वारा किये गये चयन से भरा जायेगा। अभ्यर्थी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक होने चाहिए, 45 वर्ष की आयु प्राप्त किये हुए नहीं होने चाहिए और राजस्थान पुलिस सेवा या सैन्य/अद्र्ध सैन्य बलों में सेवारत होने चाहिए।";

(v) क्रम संख्यांक 20ख के सामने स्तंभ संख्यांक 7 में, विद्यमान मद (ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ख) स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति/ विशेष चयन के माध्यम से नियुक्ति के मामलों में, राजस्थान पुलिस सेवा के वेतन लेवल L-14 में वेतन आहरित करने वाले किसी अधिकारी या सैन्य/अद्र्ध सैन्य बल में एक वेतनमान निम्नतर में या राजस्थान पुलिस सेवा के वेतन लेवल L-14 के समतुल्य वेतन आहरित करने वाले और राजस्थान पुलिस सेवा या, यथास्थिति, सैन्य/अद्र्ध सैन्य बलों में ऐसे पद पर कार्य करने का 5 वर्ष से अन्यून का अनुभव रखने वाले अधिकारियों के पद से।";

(vi) क्रम संख्यांक 20ख के सामने स्तंभ संख्यांक 7 में, इस प्रकार प्रतिस्थापित मद (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित नया मद (ग) जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"(ग) विशेष चयन के मामले में पद, पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करके और प्रमुख सचिव, विशिष्ट सचिव तथा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अन्य अधिकारी से मिलकर गठित समिति द्वारा किये गये चयन से भरा जायेगा। अभ्यर्थी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी

विश्वविद्यालय से स्नातक होने चाहिए, 45 वर्ष की आयु प्राप्त किये हुए नहीं होने चाहिए और राजस्थान पुलिस सेवा या सैन्य/अद्र्ध सैन्य बलों में सेवारत होने चाहिए।";

(vii) क्रम संख्यांक 21 के सामने स्तंभ संख्यांक 4 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक; और

(ख) राजस्थान अधीनस्थ पुलिस सेवा से उप-निरीक्षक जिसे उप-निरीक्षक के पद पर न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव हो और जो राजस्थान विधानसभा सचिवालय में कम से कम एक वर्ष से निरन्तर कार्यरत हो"।

[संख्या एफ.एन.8(1)संसद/2009 पार्ट-I]
राज्यपाल के आदेश द्वारा,

राघवेन्द्र काछवाल,
प्रमुख शासन सचिव।

Parliamentary Affairs Department
NOTIFICATION
Jaipur, January 07, 2026

G.S.R.132 .-In exercise of the powers conferred by clause (3) of Article 187 of the Constitution of India, the Governor of the State of Rajasthan, after consultation with the Speaker of the Rajasthan Legislative Assembly, hereby please to make the following rules further to amend the Rajasthan Legislative Assembly Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1992, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Legislative Assembly Secretariat (Recruitment and Conditions of Service)(Amendment) Rules, 2026.
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 2.-In clause (f) of rule 2 of the Rajasthan Legislative Assembly Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1992, hereinafter referred to as the said rules, after the existing sub-clause (ii), the following new clause (iii) shall be added, namely:-

"(iii) by special selection of a person serving, outside the Secretariat, in connection with the affairs of the Union or of a State or Statutory body;"

3. Amendment of rule 4.- In clause (b) of sub-rule (1) of rule 4 of the said rules, for the existing expression "transfer or deputation of a person", the expression "transfer, deputation or special selection of a person" shall be substituted.

4. Amendment of Schedule.- In Schedule appended to the said rules, under the head Rajasthan Vidhan Sabha Secretariat Service,-

(i) in column number 7 against serial number 20, the existing item (b) shall be substituted by the following, namely:-

"(b) In cases of appointment through transfer/deputation/special selection from the post of an officer drawing pay in the pay level L-19 of the Rajasthan Police Service or from the officers of Military/Para-Military Forces drawing pay in one scale lower or equivalent to the pay level L-19 of the Rajasthan Police Service and having not less than five years' of working experience on such post in the Rajasthan Police Service or in the Military/Para-Military Forces, as the case may be.";

(ii) in column number 7 against serial number 20, after item (b), so substituted, the following new item (c) shall be added, namely:-

"(c) In case of special selection, the post shall be filled in by inviting application from eligible candidates and selection shall be made by a Committee consisting of the Principal Secretary, the Special Secretary and one other officer nominated by the Speaker. Candidates must be graduate from any University established by law in India, must not have attained the age of 45 years, and must be serving in the Rajasthan Police Service or in the Military/Para-Military Forces.";

(iii) in column number 7 against serial number 20A, the existing item (b) shall be substituted by the following, namely:-

"(b) In cases of appointment through transfer/deputation/special selection from the post of an officer drawing pay in the pay level L-16 of the Rajasthan Police Service or from officers of the Military/Para-Military Forces drawing pay in one scale lower or equivalent to the pay level L-16 of the Rajasthan Police Service and having not less than five years' of working experience on such post in the Rajasthan Police Service or in the Military/Para-Military Forces, as the case may be.";

(iv) in column number 7 against serial number 20A, after item (b), so substituted, the following new item (c) shall be added, namely:-

"(c) In case of special selection, the post shall be filled in by inviting application from eligible candidates and selection shall be made by a Committee consisting of the Principal Secretary, the Special Secretary and one other officer nominated by the Speaker. Candidates must be graduate from any University established by law in India, must not have attained the age of 45 years, and must be serving in the Rajasthan Police Service or in the Military/Para Military Forces.";

(v) in column number 7 against serial number 20B, the existing item (b) shall be substituted by the following, namely:-

"(b) In cases of appointment through transfer/deputation/special selection from the post of an officer drawing pay in pay level L-14 of the Rajasthan Police Service or from officers of Military/Para-Military Forces drawing pay in one scale lower or equivalent to the pay level L-14 of the Rajasthan Police Service and having not less than five years' of working experience on such post in the Rajasthan Police Service or in the Military/Para-Military Forces, as the case may be.";

(vi) in column number 7 against serial number 20B, after item (b), so substituted, the following new item (c) shall be added, namely:-

"(c) In case of special selection, the post shall be filled in by inviting application from eligible candidates and selection shall be made by a Committee consisting of the Principal Secretary, the Special Secretary and one other Officer nominated by the Speaker. Candidates must be graduate from any University established by law in

India, must not have attained the age of 45 years and must be serving in the Rajasthan Police Service or in the Military/Para-Military Forces."; and

(vii) the existing entries in column number 4 against serial number 21 shall be substituted by the following, namely:-

(a) Graduate from any University established by law in India; and

(b) Sub-Inspector from the Rajasthan Subordinate Police Service having minimum of three years' experience on the post of Sub-Inspector and continuously working for at least one year in the Rajasthan Vidhan Sabha Secretariat.

[F.N.8(1)sansad/2009Pt-1]
By order of the Governor,

Raghavendra Kachawal,
Principal Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.